न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 08 / 2021

तारीख रजू :–09.03.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर राजस्थान ।

.....आवेदक

बनाम

विनोद कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन, विक्रेता एवं मालिक फर्म–पोरवाल कचोरी, खण्डार बस स्टेण्ड तिराहा, शहर, सवाईमाधोपुर निवासी पुरानी अनाज मण्डी, शहर, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत

निर्णयः– दिनांक 19/1/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 05.11.2020 को लगभग 04.45 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म–पोरवाल कचोरी, खण्डार बस स्टेण्ड तिराहा, शहर सवाई माधोपुर पर श्री जितेन्द्र सचदेवा, बाटमाप निरीक्षक, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन जाति जैन बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने विनोद कुमार जैन को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। विनोद कुमार जैन अपनी दुकान पर मावा मिठाई, कचोरी, समोसे आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक विनोद कुमार जैन से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट / लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने दुकान का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं0 22214061000648 दिनांक 08.01.2020 एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु दूध बर्फी जिसे विक्रेता ने दूध व चीनी से निर्मित करना बताया लगभग 5 किलो एक स्टील की ट्रे में रखी हुई थी। स्टील की ट्रे में रखी हुई **दूध बर्फी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी

दूध व चीनी निर्मित) का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व दुकान मालिक विनोद कुमार जैन से स्टील की ट्रे में रखी हुई **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** में से शुद्धता की जांच हेतू नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने दुकान के विक्रय परिसर में एक स्टील की ट्रे में रखी हुयी **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** में से 2 किलो **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 360/– रूपये अक्षरे तीन सौ साठ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** को अच्छी तरह मिक्स कर उसको चार खाली साफ एवं सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 40 बूंदे फोरमेलीन की डालकर चारो शीशीयो के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर, चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेट कर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H-1905** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों शीशीयों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई की कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर विक्रेता विनोद कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की एक प्रति के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारो ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर फार्म सं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर लिफाफा श्री कैलाश ड्राईवर, कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 06.11.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने की दो सील बन्द शीशी मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेट कर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारो ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आवेदक द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने का शेष चौथा भाग एवं फार्म सं0 6 की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेट कर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारो ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आवेदक द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1866 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/1822/एक्ट/2020/409 दिनांक 08.11.2020 के द्वारा खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard Food of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया**। उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक स्तर (Sub Standard Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जोकि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक द्वारा अभियुक्त गण को अधिकतम जुर्माना करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** का विक्रय करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** को सब स्टेण्डर्ड प्रकृति का माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम पेनल्टी राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1822/एक्ट/2020/409 दिनांक 08.11.2020 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दूध बर्फी (दूध व चीनी निर्मित)** सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है तथा जॉच लेब की जॉच में भी यह प्रमाणिक है कि "**Dhoodh Burfi is not prepared with genuine milk**"।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक [illegible] कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम [illegible] अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/– (अक्षरे बीस हजार

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested